

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. | 331] | नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2019/आश्विन 1, 1941 |
|-----|------|---|
| No. | 331] | NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019/ ASVINA 1, 1941 |

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत: -

- इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 है ।
- यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे I
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम,
 2015 में:-
- (।) विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के दूसरे और तीसरे प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

परन्तु यह कि जहां संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक नहीं है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई सीमा के अंतर्गत है, सम्पूर्ण पेंशन धन को वार्षिकीकृत किए विना ऐसे अभिदाताओं को, जिन्होंने स्वावलंबन सह-अंशदान नहीं लिया है या जिसने स्वावलंबन के तहत सरकारी सह-अंशदान का लाभ तो उठाया है लेकिन लेकिन अटल

4935 GI/2019 (1)

पेंशन योजना में स्वतःप्रवसन के लिए अयोग्य है, सरकार के सह-अंशदान को उस पर जिनत रिटर्न्स की कटौती के पश्चात्, योजना में न्यूनतम 25 वर्षों की अवधि तक जारी रहने की आवश्यकता के विना, वापस कर दिया जाएगा l

स्पष्टीकरण- स्वावलंबन अभिदाताओं अथवा अभिदाताओं का भारत सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना, जिसमें अटल पेंशन योजना भी शामिल है, में प्राधिकरण की अनुज्ञा से किये गए प्रवसन को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निकास नहीं माना जाएगा l

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[वि-III/4/असा. /219/19]

पादलेख:

- 1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल / 139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 5. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
- 6. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 19 फरवरी 2019 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2019

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/8.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following

regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Sixth Amendment) Regulations, 2019.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-
- (I). Second and Third proviso to Sub regulation (b) of Regulation 5 shall be substituted as below-

Provided further that, where the accumulated pension wealth does not exceed one lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, the whole pension wealth shall be paid without annuitisation to the subscribers who have not availed any Swavalamban co-contribution, and also to the subscribers who though have availed Swavalamban co-contribution but are not eligible for auto migration to Atal Pension Yojana, after deducting the Government's co-contribution with returns thereon without requiring them to continue in the scheme for minimum period of twenty-five years.

Explanation— The migration of a Swavalamban subscriber to any other pension scheme of Government of India, including Atal Pension Yojana, as approved by the Authority, shall not be deemed as an exit and withdrawal for the purposes of these regulations.

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT-III/4/Exty./219/19]

Footnote:

- The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
- 4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
- 5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
- 6. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on 19th Feb 2019 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.